

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] No. 548] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद-श्ल्क और सीमा श्ल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 4/2017- एकीकृत कर

सा.का.िन. 699(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवाकर नियम, 2017 है।
 - (2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियमों का लागू होना.—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017, जहां तक हो सके, एकीकृत कर के संबंध में उस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे केंद्रीय कर के संबंध में लागू होते हैं।

[फा. सं. 349/76/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

3976 GI/2017 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 4/2017-Integrated Tax

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with section 20 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Integrated Goods and Services Tax Rules, 2017.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 22nd day of June, 2017.
- 2. **Application of Central Goods and Services Tax Rules.**—The Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for carrying out the provisions specified in section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall, so far as may be, apply in relation to integrated tax as they apply in relation to central tax.

[F. No. 349/76/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.